

हरियाणा सरकार ने शहीद जवानों और सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने को लेकर एक नीतिकी अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने देश की सेवा में प्राण न्योछावर करने वाले शहीद जवानों और सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने को लेकर एक नीतिकी अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीतिके तहत रक्षा अधिकारियों, गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को किसी भी ऑपरेशन या किसी नरिदषिट क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान संघर्ष, आईईडी वस्फोट, आतंकवादी या उग्रवादी हमलों, सीमा पर झड़पों में शहीद होने वाले जवानों को अनुकंपा नीतिके अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।
- इनके अलावा एम.टी. कार्डयिक अरेस्ट, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में असाधारण साहस और कर्तव्य पालन करने और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में कर्तव्यों के नरिवाह के दौरान आर्द घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों आशरतियों को संशोधति अनुकंपा नीतिके अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।
- मुख्य सचिव ने बताया कि इससे पहले 30 मई, 2014 और 28 सतिंबर, 2018 की पछिली नीतियों के अनुसार सरकारी नौकरतियाँ केवल उन शहीदों के आशरतियों को दी जाती थी, जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे जाते थे और जनिहें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषति कथिा जाता था।
- नई अनुकंपा नीतिके पात्र परिवार के सदस्यों की परभिषा को भी बढाया गया है।
- नई नीतिके उद्देश्य सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध में शहीद जवानों के राज्यवासी परिवार के पात्र सदस्यों में से एक को अनुकंपा नयुक्ता के माध्यम से नौकरी प्रदान कर परिवार की मदद करना है।
- अनुकंपा नयुक्ता हेतु हताहत के परिवार में पति या पत्नी हैं और वे नयुक्ता निहें चाहते हैं तो वविहति या अवविहति बच्चों में से किसी एक को लाभ दथिा जाएगा। इसमें कानूनी रूप से गोद लथिे गए बच्चे भी शामिल कथिे गए हैं। बशरते कि शहीद सैनकि ने जीवति रहते वह बच्चा गोद लथिा हो।
- यर्द शहीद सैनकि अवविहति था तो उसके माता-पति की सहमति से ही अवविहति या वविहति भाई या अवविहति बहन या जसिके लथिे माता-पति, भाइयों और अवविहति बहनों द्वारा सहमति दी जाती है, उसे इस नीतिके लाभ दथिा जाएगा।